परियोजना विवरण :- केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विकासखण्ड डोइवाला के अन्तर्गत थानो भोगपुर मोटर मार्ग के किमीo 3 पर 240 मीटर पीoएसoसीo मोटर सेतु का निर्माण कार्य।

> कार्यालय उप जिलाधिकारी, उर्देशका अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड डोईवाला परिक्षेत्र के अन्तर्गत थानो भोगपुर मोटर मार्ग के किमी० 3 पर 240 मीटर पी०ए०सी० सेतु का निर्माण 0.986 है० आरक्षित वन भूमि, 0.000 है० सिविल सोयम भूमि, 0.000 है० वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 0.986 है० वन भूमि) का अधिशासी अभियन्ता, रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, डोईवाला (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील डोईवाला) की दिनांक 24.01.2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीताश्मी राज स्त्रीम प्राप्त प्राप्त एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

A A
1. श्री लिक्स्मी राज न्हांसार्र उपजिलाधिकारी तहसील डोईवालाअध्यक्ष
2. श्री न्या करते कार्ता क्या जप प्रभागीय वनाधिकारी निर्देश के हराद् न न्या प्रभागिय वनाधिकारी निर्देश के हराद् न न्या प्रभागिय वनाधिकारी
2. श्री न्हां कर्ता जिया उप प्रभागीय वनाधिकारी निर्देश हैं हैं शाद निर्देश सदस्य 24-01-202 3. श्री महिश्र गुनापुरिम्ह सहायक समाज कल्याण अधिकारी डोईवाला प्रमुख सदस्य सिचव 4. भी स्प्रियोगि दिल्या स्रोदोगी बीठडी०सी० क्षेत्र 05- कार्थ स्थानक स्थाप अधिकारी सदस्य प्रमुख
4. भी स्त्रीमती दिल्या सदस्य भिर्म
उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की
गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि थानो भोगपुर मोटर मार्ग के किमी० 3 पर 240 मीटर पी०ए०सी० सेतु का निर्माण कार्य
परियोजना हेतु ०.९८६ है० वन भूमि लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड / अधिशासी अभियन्ता, रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, डोईवाला प्रयोक्ता एजेन्सी
के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत

नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजिनक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी कि द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा

अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड डोईवाला परिक्षेत्र के अन्तर्गत थानो भोगपुर मोटर मार्ग के किमी० 3 पर 240 मीटर पी०ए०सी० सेतु का निर्माण के निर्माण हेतु 0.986 है० वन भूमि अधिशासी अभियन्ता, रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, डोईवाला को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

शासी अभियन्ता,

0मा0 खण्ड, लो०नि०वि० डोईवाला देहरादून उप जिलाधिकारी अध्यक्ष । उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील— डोईवाला

जनपद- देहरादून

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील— डोईवाला जनपद— देहरादून

परियोजना विवरण :— केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विकासखण्ड डोइवाला के अन्तर्गत थानो भोगपुर मोटर मार्ग के किमीo 3 पर 240 मीटर पीoएसoसीo मोटर सेतु का निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -

तहसील- डोईवाला , जिला-देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत थानो भोगपुर मोटर मार्ग के किमी० 3 पर 240 मीटर पी०ए०सी० सेतु का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.986 है० आरक्षित वन भूमि, 0.000 है० सिविल सोयम भूमि, 0.000 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0. 986 है० वन भूमि का ग्रा<u>म्य क्लि</u>जर्स विभाग, उद्ध्वस्तखण्ड/अधिशासी अभियन्ता, रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि० डोईवाला (प्रयोक्ता एजेन्सी) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत श्रामें द्वारा दिनांक 24.12.2019को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। 'उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम किया गया कि ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोoनिoविo, उत्तराखण्ड / अधिशासी अभियन्ता, लोoनिoविo डोईवाला (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव मुहर सहित

गाम, प्रचायता अधिकारी / संचित्र गाठ प्रथा ... १ मानी विश्व रायपुर जिला देहरायर ग्राम प्रधान/सरपंच मुहर सहित

हरताकार जि.बो. तिका हिलांक 2 स्त [12] के विवांक 2 स्त [12]

अधिशासी अभियन्ता, राजमाठ खण्ड, लोठनिठविठ डोईवाला देहरादून

परियोजना विवरण :- केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विकासखण्ड डोइवाला के अन्तर्गत थानो भोगपुर मोटर मार्ग के किमी० 3 पर 240 मीटर पी०एस०सी० मोटर सेतु का निर्माण कार्य।

दिनांक 24 12/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :-- थानो

कमां	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
क		
1	स्वपान १७६	(md)
2	थर्मयान्य क्रिटि	-Quk-th.
3	19716 9 22007	a Daymin.
4	रमेरा पालकी	and -
5	भनमोहन गिर	post me
6	अनि ल जिल्ल	Pan
7	US ISIMI	Sang
8	ज्ञानल करेत	0 >12.
9	अविनाशं सालंकी	ASY
10	-4 = Jan 21 Tous	COLE 1
11	5 my 012 pm/2	2 charlong
12	अगिल । येग दाल	DEM WISH
13	किंद्रक द्वनित	Jandy,
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21	in-	
22		
23		
24		
25		Affective
26		
27		
28		

अधिशासा अभियन्ता, राठमाठ खण्ड, लोठनिठविठ होईवाला देहराद्न ग्राम प्रधान काल, ज्ञान पंचायत है। हस्ताकार Bab, 1-दिलांक २५/12/19 *

प्रारुप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना / अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(For Linear Projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Dehradun

No-Camp | Memo-s

Dated_12.02.2020

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.986 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Devlopment Department Uttarakhand/Executive Engineer, NH. Division, P.W.D. Doiwala (Dehradun) (name of user agency) for Construction of 240 Mtr Span PSC Bridge At Km-3 of Thano-Bhogpur Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdiction of Thano village in Doiwala Tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.986 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.1 to annexure 30.4
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Preagricultural communities.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

अविश्वासी अभियन्ता, कार्णा० खण्ड, लोश्वनि०वि० औईवाला देहरादून

Form-II For Project other linear projects Government of Uttrakhand Office of the District Collector Dehradun

No. Camp/memo-1

Dated 12.02.2020

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed, it is certified that 1 0.986 hectares forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D. Uttrakhand/ Executive Engineer, Temporary Division P.W.D. Rishikesh for Construction of 240 mitre Span PSC Bridge at Km 3 of thano Bhogpur motor Road in Dehradun District falls within jurisdication of Gram Panchayat Thano in Doiwala Tehsil.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement for right under the FRA has been carried out for the entire 0.986 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure to annexure....
- (a) The proposal for such diversion (with full details of project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned gram sabha of forest dwellers, sho ared eligible under the FRA:
- (b) The each of concerned Gram Sabha(s), has been certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measured, if any, having understood the purposed and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha is enclosed as annexure to annexure....
- (c) The discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present:
- (d) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha has given their consent to it:
- (e) The rights of Primitive Tribal/Groups and pre-agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section3 (1) (e) of the FRA.

Encl. :- as above.

(Full name and official seal of the District collector)

क्षिमाधिक

D.sharda manjeet letter

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the District Level Committee of Dehradun District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dr. Ashird. Kumar. Strivel A.S., deputy commissioner, Nainital on dated ... 12.02-220 at time ... 1... P.M. at Dahradun in which application claiming rights in Thano, Bhogpur Villages, area measuring 0.986 hectare for the Construction of 240 Mtr Span PSC Bridge At Km-3 of Thano-Bhogpur Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Doiwala sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District Level Committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Dehradyn

Dated: 12-02-2021

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

समाज कल्याण अधिकारी

अधिशासी अभियन्ता, राज्यात खण्ड, लोधनि०वि० अस् डोईवाला देहरादन